अपील क्रमांक 197/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
षिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /05/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 197/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री टी.एस. चक्रधारी, गंजपारा वार्ड क्रमांक–12 बोलो, पोस्ट व जिला–बालोद (छ.ग.) पिन कोड 491226	विरूद्ध	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 10.05.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री टी.एस. चक्रधारी के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2024 जो कार्यालय में दिनांक 19.04.2024 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 10.05.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) अनुस्थित थे तथा अपीलार्थी उपस्थित थे ।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.01.2024 को जनसूचना अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय के जनसूचना प्रकोष्ठ में आवक क्रमांक 72 दिनांक 19.01.2024 को प्राप्त हुआ। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 18.04.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 19.04.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ।

3. अपीलार्थी श्री टी.एस. चक्रधारी ने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उससे मैं किसी भी हालत में संतुष्ट व सहमत नहीं हूं। अपीलार्थी ने अपने प्रथम अपील आवेदन पत्र में चाही गई वांछित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

4. अपीलार्थी सुनवायी में स्वयं उपस्थित थे। अपीलार्थी द्वारा समक्ष में निवेदन किया गया कि पूर्व में दी गयी जानकारी अंग्रेजी भाषा में होने के कारण उन्हें समझने में परेशानी हो रही है। अपीलार्थी द्वारा हिन्दी में जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया।

5. जनसूचना अधिकारी आज सुनवायी में अनुपस्थित थे। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय में दि. 19.01.2024 को प्राप्त हुआ। जनसूचना अधिकारी को तकनीकी शाखा से 4 पृष्ठों में वांछित जानकारी दिनांक 24.01.2024 को प्राप्त हुयी।

......2

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/29/छ.ग./2024/746, दिनांक 29.01.2024 द्वारा 04 पृष्ठों की जानकारी शुल्क जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस की अवधि दिनांक 18.02.2024 को पूर्ण होती है, उसके पूर्व ही शुल्क जमा करने पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2024 को निर्धारित दस्तावेज शुल्क जमा करने के पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/29/छ.ग./2024/2828, दि. 02.04.2024 द्वारा 4 पृष्ठों की जानकारी सत्यापित कर अपीलार्थी को प्रेषित किया गया।

6. तकनीकी कक्ष के शासकीय सेवक से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालयीन अभिलेख में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होने के कारण ही रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी प्रदान की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में जन सूचना अधिकारी ने विधि सम्मत कार्यवाही की है। किन्तु आवेदक/अपीलार्थी के हिन्दी भाषा में ही जानकारी उपलब्ध कराने का निवेदन किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय वेबसाइट में म. प्र. सिंचाई अधिनियम–1931 के पेज क्रं. 110 में चेप्टर X का अवलोकन करने पर अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होना पाया। उक्त अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन दिनांक 01.11.2000 के पूर्व ही वर्ष 1931 में प्रभावशील है एवं तत्समय अंग्रेजों का शासनकाल होने से अंगेजी भाषा में ही जारी किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग की वेबसाइट में भी उक्त अधिनियम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होने संबंधी जानकारी आवेदक को अवगत कराया गया। फिर भी आवेदक के बार–बार निवेदन किये जाने पर तत्संबंध में विभागीय मैदानी संरचना के कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर से मोबाइल पर बात करने पर उन्होनें बताया कि विभिन्न ला हाउस की किताबें द्विभाषिक संस्करण में (हिन्दी एवं अंगेजी भाषा में) माननीय न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं एवं आमजन के लिये प्रकाशित की गयी हैं, उन्हीं की प्रति कार्यालयीन रिकार्ड में उपलब्ध है। उनसे म.प्र. सिंचाई अधिनियम–1931 के पेज क्रं. 110 में चेप्टर X के हिन्दी भाषा की प्रति उपलब्ध कराने के निवेदन किये जाने पर उन्होंने उन पेजों को स्केन कर तत्काल अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल पर उपलब्ध कराया। जिसे सत्यापित कर आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी 4 पृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/29/छ.ग./2024/2828, दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयसीमा में अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा हिन्दी में जानकारी प्रदान किये जाने के अनुरोध पर विभागीय मैदानी संरचना के कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर से मोबाइल कर उनके कार्यालय में उपलब्ध ला हाउस की द्विभाषिक संस्करण पुस्तक के म.प्र. सिंचाई अधिनियम–1931 के पेज क्रं. 110 में चेप्टर X के हिन्दी भाषा की प्रति प्राप्त कर अपीलार्थी को हिन्दी में 6 पृष्ठों की जानकारी सत्यापित कर निःशुल्क प्रदान किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त जानकारी से संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

......3

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-
(आलोक अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./197/बो.प्र./नि.स./2024/ 3667 **रायपुर, दिनांक** 10**/5/2024**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री टी.एस. चक्रधारी, गंजपारा वार्ड क्रमांक–12 बोलो, पोस्ट व जिला–बालोद (छ.ग.) पिन कोड 491226 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10/5/24

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)